# मंथली पॉलिसी रिव्यू

## मार्च 2025

### इस अंक की झलकियां

**अवकाश के बाद बजट सत्र 2025-26 फिर से शुरू**

संसद सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च, 2025 को फिर से शुरू हुआ और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा। इस सत्र में पांच बिल पेश किए गए और पांच बिल पारित किए गए।

**संसद ने बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए बिल पारित किया**

बिल में बैंक जमा और लॉकर के लिए अधिकतम चार नॉमिनी की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। इसमें बैंकों के लिए नकदी भंडार बनाए रखने के लिए पखवाड़े की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है।

**विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और प्रवास को रेगुलेट करने वाला बिल लोकसभा में पारित**

बिल में भारत आने पर विदेशियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। इसके तहत शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों जैसी कुछ संस्थाओं पर विदेशियों के बारे में निर्धारित जानकारी प्रदान करने की जिम्मेदारी है।

**संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024 को पारित किया**

बिल राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है। यह राज्यों को शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने का अधिकार देता है।

**भारतीय पत्तन बिल, 2025 लोकसभा में पेश**

यह बिल भारतीय पत्तन एक्ट, 1908 का स्थान लेता है। यह बिल एक्ट के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखता है और 1908 के एक्ट की एप्लिकेबिलिटी, बंदरगाहों के प्रशासन और विवादों पर फैसले से संबंधित कुछ परिवर्तन करता है।

**लोकसभा ने लदान हुंडी बिल को पारित किया**

यह बिल भारतीय लदान हुंडी एक्ट, 1856 का स्थान लेता है। बिल एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है, साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

**संसद ने बॉयलर्स एक्ट, 1923 का स्थान लेने वाला बिल पारित किया**

यह बिल बॉयलर्स एक्ट, 1923 का स्थान लेता है। यह सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट्स की मैन्यूफैक्चरिंग, स्थापना, उपयोग और मरम्मत को रेगुलेट करता है।

**कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के कंपोनेंट्स के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

**संसद ने रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 पारित किया**

यह बिल रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त करता है तथा रेलवे बोर्ड से संबंधित प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करता है।

**1 अप्रैल, 2025**

**PRS Legislative Research** ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035-36, 23234801-02 ▪ www.prsindia.org

## संसद

*Atri Prasad Rout (atri@prsindia.org)*

### अवकाश के बाद बजट सत्र 2025 फिर से शुरू

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2025 को शुरू हुआ। इसके बाद सत्र में 14 फरवरी से 9 मार्च, 2025 के बीच अवकाश रहा तथा 10 मार्च, 2025 को दूसरे भाग के लिए पुनः बैठक शुरू हुई।

संसद ने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अब तक पांच बिल पारित किए हैं। ये इस प्रकार हैं, (i) रेलवे (संशोधन) बिल, 2024, (ii) तेल क्षेत्र (रेगुलेशन एवं विकास) संशोधन बिल, 2024, (iii) बॉयलर्स बिल, 2024, (iv) आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024, और (v) बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2024। चार बिल एक सदन में पारित हुए हैं, और दूसरे में लंबित हैं। इनमें से दो बिल, "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय बिल, 2025, और आप्रवास और विदेशी विषयक बिल, 2025 इस सत्र में पेश किए गए।

इस सत्र में केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई। इस सत्र के दूसरे हिस्से में फाइनांस बिल, 2025 और तीन एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किए गए। संसद ने मणिपुर के लिए भी बजट पारित किया, जहां फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है।

सत्र के दौरान लेजिसलेटिव बिजनेस पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखें।

## मैक्रोइकोनॉमिक विकास

*Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)*

### 2024-25 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.1%

भारत ने 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 11.5 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जबकि 2023-24 की इसी तिमाही में यह 10.4 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) था।[1] 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में चालू खाता घाटा 16.7 बिलियन USD (जीडीपी का 1.8%) था।

2024-25 की तीसरी तिमाही में पूंजी खाते में 26.8 बिलियन USD का शुद्ध बहिर्वाह (आउटफ्लो) दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 की तीसरी तिमाही में 17.3 बिलियन USD का शुद्ध अंतर्वाह (इनफ्लो) दर्ज किया गया था। यह 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.4 बिलियन USD के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के शुद्ध बहिर्वाह के कारण था। 2024-25 की दूसरी तिमाही में पूंजी खाते में शुद्ध अंतर्वाह 36.1 बिलियन USD था।

2024-25 की तीसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 37.7 बिलियन USD की कमी आई, जबकि 2023-24 की इसी तिमाही में इसमें 6 बिलियन USD की वृद्धि हुई थी। 2024-25 की दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 18.6 बिलियन USD की वृद्धि हुई।

**तालिका 1: भुगतान संतुलन, ति3 2024-25 (बिलियन USD)**

| | ति3 2023-24 | ति2 2024-25 | ति3 2024-25 |
|---|---|---|---|
| क .निर्यात | 106.6 | 104.6 | 109.8 |
| ख. आयात | 178.3 | 188.8 | 189.0 |
| ग. व्यापार संतुलन (क-ख) | -71.6 | -84.3 | -79.2 |
| घ. शुद्ध सेवाएं | 45.0 | 44.6 | 51.2 |
| ङ अन्य हस्तांतरण | 16.2 | 22.9 | 16.5 |
| च. चालू खाता (ग+घ+ङ) | -10.4 | -16.7 | -11.5 |
| छ. पूंजी खाता | 17.3 | 36.1 | -26.8 |
| ज. भूल चूक लेनी देनी | -0.9 | -0.7 | 0.6 |
| झ. मुद्रा भंडार में परिवर्तन (च+छ+ज) | 6.0 | 18.6 | -37.7 |

स्रोतः आरबीआई, पीआरएस।

## वित्त

*Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)*

### कैबिनेट ने कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्सन टू मर्चेंट के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।[2] इस योजना को 2024-25 के लिए 1,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 2,000 रुपए तक के भुगतान के लिए प्रति

लेनदेन 0.15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा।

### सेबी ने बोर्ड बैठक में विभिन्न निर्णयों को मंज़ूरी दी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी बैठक में विभिन्न निर्णयों को मंज़ूरी दी है।[3] प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एफपीआई द्वारा खुलासा**: वर्तमान में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को कुछ निश्चित प्रकटीकरण करने होते हैं। इसकी सीमा यह है कि: (i) किसी कॉरपोरेट समूह में अपने भारतीय इक्विटी एसेट्स के 50% से अधिक हिस्सा रखने वाले, या (ii) भारतीय बाजारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के इक्विटी एसेट्स रखने वाले एफपीआई को कुछ खुलासे करने होते हैं।[4] ये प्रकटीकरण उन सभी संस्थाओं से संबंधित हैं जो एफपीआई में स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण रखती हैं। सेबी ने कहा कि जब ये सीमाएं निर्धारित की गई थीं, तब से इक्विटी बाज़ार में ट्रेडिंग वॉल्यूम दोगुने से भी अधिक हो गया है। बोर्ड ने एफपीआई के लिए प्रकटीकरण सीमा को 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने को मंज़ूरी दे दी है।
- **निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों की फीस**: इससे पहले निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को क्रमशः अधिकतम दो तिमाहियों और एक तिमाही के लिए अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति थी। बोर्ड ने क्लाइंट की सहमति पर एक वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम शुल्क लेने को मंज़ूरी दी है।
- **हितों के टकराव पर उच्च स्तरीय समिति**: सेबी ने बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों से संबंधित कुछ प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इन प्रावधानों में हितों का टकराव, संपत्ति का खुलासा और निवेश शामिल हैं। समिति से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

### आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण- लक्ष्य और वर्गीकरण) निर्देश, 2025 जारी किए हैं।[5,6] ये सितंबर 2020 में जारी निर्देशों के स्थान पर जारी किए गए हैं।[7] इन निर्देशों का उद्देश्य उन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सहकारी बैंक**: 2020 के निर्देशों के तहत, शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% निर्धारित किया गया था। इसे 2025-26 तक बढ़ाकर 75% करना था। संशोधित निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि लक्ष्य 60% तय किया जाएगा।
- **अक्षय ऊर्जा**: 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार, अक्षय ऊर्जा के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में 30 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान किए जा सकते हैं। यह अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादकों और सार्वजनिक इकाइयों के लिए प्रदान किया जा सकता है। संशोधित दिशानिर्देश ऋण सीमा को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए करते हैं।
- **कमजोर वर्ग**: कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कमजोर वर्गों में निम्न शामिल हैं: (i) कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा एक लाख रुपए तक है, (ii) स्वयं सहायता समूह, (iii) प्रति उधारकर्ता एक लाख रुपए तक के महिला लाभार्थी। संशोधित निर्देशों में कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। महिला लाभार्थियों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रति उधारकर्ता कर दिया गया है (शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)। इसमें ट्रांसजेंडर और संयुक्त देयता समूहों को भी कमजोर वर्गों की परिभाषा में शामिल किया गया है।

### संसद में बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए बिल पारित

बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2024 को संसद में पारित कर दिया गया है।[8] यह निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करता है: (i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक्ट, 1934, (ii) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949, (iii)

भारतीय स्टेट बैंक एक्ट, 1955, (iv) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) एक्ट, 1970, और (v) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) एक्ट, 1980।[9,10,11,12,13] मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नकद भंडार (कैश रिजर्व्स) के लिए पखवाड़े (फोर्टनाइट) की परिभाषा**: आरबीआई एक्ट के तहत, अनुसूचित बैंकों को नकदी भंडार के रूप में आरबीआई के साथ औसत दैनिक शेष का एक निश्चित स्तर बरकरार रखना होता है। यह औसत दैनिक शेष एक पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार की समाप्ति पर बैंकों द्वारा रखे गए शेष के औसत पर आधारित होता है। एक पखवाड़े को शनिवार से अगले शुक्रवार तक (दोनों दिन सहित) की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल पखवाड़े की परिभाषा को इस अवधि में बदलता है: (i) प्रत्येक महीने के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक, या (ii) प्रत्येक महीने के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक। बिल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी इस परिभाषा को बदलता है जहां गैर अनुसूचित बैंकों को नकदी भंडार बहाल रखने की आवश्यकता होती है।
- **नॉमिनेशन**: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एकल या संयुक्त जमा धारकों को अपनी जमा राशि के लिए एक नॉमिनी नियुक्त करने की अनुमति देता है। नॉमिनी बैंक की कस्टडी में छोड़ी गई वस्तुओं या बैंक से किराए पर लिए गए लॉकर के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। यह नॉमिनी, उसे नॉमिनेट करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जमा राशि, वस्तुओं या लॉकर को एक्सेस कर सकता है। बिल इन उद्देश्यों के लिए अधिकतम चार नॉमिनी की नियुक्ति की अनुमति देता है। जमा राशि के लिए ऐसे नॉमिनी को बारी-बारी से, या एक साथ नियुक्त किया जा सकता है जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए उन्हें बारी-बारी से नियुक्त किया जा सकता है। एक साथ नॉमिनी बनाए जाने पर नॉमिनेशन घोषित अनुपात में प्रभावी होगा। बारी-बारी से नॉमिनेशन की स्थिति में, जिस नॉमिनी का नाम नॉमिनेशन के क्रम में ऊपर रखा गया है, उसे प्राथमिकता मिलेगी।
- **सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल**: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसी बैंक के निदेशक (इसके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को लगातार आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने से निषिद्ध करता है। बिल में सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

## गृह मामले

*Shirin Pajnoo (shirin@prsindia.org)*

### आप्रवास और विदेशी विषयक बिल, 2025 को लोकसभा में पेश और पारित किया गया

आप्रवास और विदेशी विषयक बिल, 2025 को 11 मार्च, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। यह भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। यह बिल निम्नलिखित कानूनों को निरस्त करता है: (i) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920, (ii) विदेशियों का पंजीकरण एक्ट, 1939, (iii) विदेशी विषयक एक्ट, 1946 और (iv) आप्रवास (वाहक दायित्व) एक्ट, 2000। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आप्रवास**: 1920 का एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट रखने के नियम बना सकती है। बिल में प्रावधान है कि भारत में प्रवेश करने या यहां से जाने वाले व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ वैध वीज़ा (विदेशियों के लिए) भी होना चाहिए। बिल में आप्रवास ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान है जोकि आप्रवास संबंधी और अन्य निर्धारित कार्य करेगा। आप्रवास संबंधी कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वीज़ा जारी करना और भारत में प्रवेश का रेगुलेशन, या (ii) भारत से गुजरना, यहां ठहरना और आवागमन तथा भारत से बाहर निकलना।
- **विदेशियों का पंजीकरण**: 1939 का एक्ट केंद्र सरकार को विदेशियों के लिए ऐसे नियम बनाने का अधिकार देता है ताकि वे अपनी उपस्थिति की

सूचना निर्धारित अथॉरिटी को दे सकें। बिल में प्रावधान है कि भारत आने पर विदेशियों को पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा।

- **निर्धारित जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं का दायित्व**: 1946 के एक्ट के अनुसार यात्रियों/चालक दल को ले जाने वाले जहाजों के मालिकों/विमानों के पायलटों को जहाज पर मौजूद विदेशियों के बारे में निर्धारित जानकारी देनी होती है। विदेशियों को आवास प्रदान करने वाले होटल संचालकों को भी ऐसी जानकारी देनी होती है। बिल में यह अपेक्षा की गई है कि भारत में उतरने या यहां आने वाली विमान सेवा कंपनियां विमान में सवार चालक दल/यात्रियों की जानकारी सिविल अथॉरिटी या आप्रवास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। बिल में यह भी कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को विदेशियों को प्रवेश देने के बारे में पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित जानकारी देनी होगी। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों को इनडोर उपचार प्राप्त करने वाले विदेशी रोगियों या आवास सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उनके अटेंडेंट्स के बारे में पंजीकरण अधिकारी को जानकारी देनी होगी।

- **वाहक**: 2000 के एक्ट के अनुसार वाहक वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जल या वायु मार्ग से यात्रियों के परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है। बिल में इस परिभाषा का विस्तार किया गया है और इसमें विमान, जहाज या परिवहन के किसी अन्य साधन के माध्यम से वायु, जल या भूमि द्वारा यात्रियों और माल के परिवहन को शामिल किया गया है। बिल में भारत से प्रस्थान करने वाले ऐसे विमानों/जहाजों/किसी अन्य परिवहन साधन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि आप्रवास अधिकारी से मंजूरी नहीं मिल जाती।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

## संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024 को पारित किया

*Atri Prasad Rout (atri@prsindia.org)*

संसद के दोनों सदनों ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024 को पारित कर दिया।[14] यह बिल आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में संशोधन करता है।[15] यह एक्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करता है। ये प्राधिकरण क्रमशः राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

- **एनडीएमए और एसडीएमए के कार्य**: बिल में प्रावधान है कि एनडीएमए और एसडीएमए अपने-अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। बिल इन प्राधिकरणों के लिए कुछ कार्य नियत करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: : (i) मौसम की चरम घटनाओं से उभरते संकट सहित आपदा जोखिमों का समय-समय पर जायज़ा लेना, (ii) स्वयं से निचले प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, (iii) राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों का सुझाव देना, और (iv) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदाओं के लिए डेटाबेस तैयार करना। एनडीएमए राज्यों की आपदा तैयारियों का आकलन करेगा, और आपदा के बाद तैयारियों और प्रतिक्रिया का ऑडिट भी करेगा।

- **आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्यों को शक्तियां**: बिल राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राजधानी और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना सकती है। शहरी प्राधिकरण अपने तहत आने वाले क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे लागू करेगा। एक्ट में आपदा की स्थिति में विशेषज्ञ प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान है। बिल राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का अधिकार देता है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

## बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग

*Anirudh TR (anirudbtr@prsindia.org)*

### लदान हुंडी बिल, 2024 लोकसभा में पारित

लदान हुंडी बिल, 2024 को लोकसभा में पारित कर दिया गया।[16] यह बिल भारतीय लदान हुंडी एक्ट, 1856 का स्थान लेने का प्रयास करता है।[17] एक्ट लदान हुंडी जारी करने के लिए एक कानूनी संरचना का प्रावधान करता है।

- **बहाल प्रावधान**: एक्ट के अनुसार, लदान हुंडी जहाज पर माल का अंतिम सबूत होता है। वह निम्नलिखित व्यक्तियों को माल के संबंध में मुकदमों और देनदारियों के सभी अधिकार प्रदान करता है: (i) लदान हुंडी के अनुसार, प्राप्तकर्ता, या (ii) कोई तीसरा पक्ष, जिसे प्राप्तकर्ता माल का स्वामित्व हस्तांतरित कर सकता है। बिल एक्ट के तहत सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है।
- **निर्देश जारी करने की शक्ति**: बिल इसमें यह और जोड़ता है कि केंद्र सरकार बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

### लोकसभा में भारतीय पत्तन बिल, 2025 पेश

भारतीय पत्तन बिल, 2025 को 28 मार्च, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। यह भारतीय पत्तन एक्ट, 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट में केंद्र और राज्य सरकारों की निम्नलिखित शक्तियों का उल्लेख किया गया है: (i) बंदरगाहों (पत्तन) की सीमाओं में बदलाव, (ii) बंदरगाहों की सुरक्षा एवं संरक्षण, और (iii) बंदरगाह-शुल्क, फीस और दूसरे प्रभार लगाना। बिल में एक्ट के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। मुख्य बदलावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **समुद्री राज्य विकास परिषद**: बिल में केंद्र सरकार से यह अपेक्षित है कि वह समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना करेगी। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी: (i) बंदरगाहों द्वारा जमा किए जाने वाले डेटा या सूचना के साथ-साथ, उन्हें जमा करने, उनके अपडेशन, स्टोरेज और उन्हें परिषद को प्रस्तुत करने का तरीका, (ii) बंदरगाहों से संबंधित डेटा या सूचना का प्रसार, और (iii) बंदरगाह शुल्क की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। यह विधायी पर्याप्तता, बंदरगाहों की कार्यकुशलता एवं बंदरगाहों से कनेक्टिविटी से संबंधित मामलों पर सुझाव देगी।
- **राज्य समुद्री बोर्ड्स**: बिल की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी राज्य समुद्री बोर्ड्स को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों के समुद्री बोर्ड शामिल हैं। राज्य समुद्री बोर्ड्स के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाइसेंसिंग का कार्य करना, (ii) बंदरगाह के सभी कार्यों को सुपरवाइज करना, (iii) बंदरगाह शुल्क तय करना और (iv) बंदरगाह की सीमाओं के भीतर नेविगेशन का रेगुलेशन करना।
- **विवाद निवारण समिति**: बिल में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे एक विवाद निवारण समिति का गठन करेंगी, जो राज्य के भीतर गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बंदरगाह के कन्सेशनेयर्स, बंदरगाहों का उपयोग करने वालों और बंदरगाहों पर सर्विस देने वालों के आपसी विवादों का निपटारा करेगी। समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 60 दिनों के भीतर की जाएगी।
- **प्रदूषण नियंत्रण और प्रतिक्रिया**: बिल के तहत, सभी बंदरगाहों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और राज्य सरकार के परामर्श से पोर्ट वेस्ट रिसेप्शन और हैंडलिंग योजना तैयार करनी होगी। हर बंदरगाह को तटीय जल में प्रदूषण के खतरे से जुड़ी घटनाओं की सूचना केंद्र या राज्य सरकारों को देनी होगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

## वाणिज्य एवं उद्योग

*Nripendra Singh (nripendra@prsindia.org)*

### संसद ने बॉयलर्स एक्ट, 1923 का स्थान लेने वाला बिल पारित किया

बॉयलर्स बिल, 2024 को संसद ने पारित कर दिया। यह बिल बॉयलर्स, एक्ट, 1923 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट बॉयलर्स और बॉयलर्स कंपोनेंट्स

की मैन्यूफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, प्रयोग और मरम्मत को रेगुलेट करता है ताकि सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। बिल एक्ट के सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि बिल का इरादा प्रावधानों की स्पष्टता को बढ़ाना है।

बिल के पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

### संसद ने तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) संशोधन बिल, 2024 को पारित किया

तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) संशोधन बिल, 2024 को संसद में पारित कर दिया गया। बिल तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 1948 में संशोधन करता है। एक्ट प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को रेगुलेट करता है। बिल में खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें निम्नलिखित को जोड़ा गया है: (i) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन, (ii) कोल बेड मीथेन, और (iii) शेल गैस/तेल। बिल स्पष्ट करता है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

### कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,919 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य मैन्यूफैक्चरिंग में वैश्विक और घरेलू, दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना है। यह योजना भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कंपोनेंट्स लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है।

## रेलवे

*Anirudh TR (anirudbtr@prsindia.org)*

### संसद ने रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 पारित किया

रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 को संसद में पारित कर दिया गया। बिल रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त करने का प्रयास करता है। 1905 के एक्ट के तहत भारतीय रेलवे के प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। यह बिल रेलवे बोर्ड से संबंधित प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करने का प्रयास करता है। 1989 के एक्ट में रेलवे के लिए कानूनी संरचना प्रदान की गई है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

*Anirudh TR (anirudh@prsindia.org)*

### मंत्रालय ने एमएसएमई के वर्गीकरण से संबंधित वित्तीय सीमाओं में संशोधन किया

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना में संशोधन किया है।[18,19] उसने विभिन्न श्रेणियों में सीमा बढ़ा दी है (तालिका 2)।

**तालिका 2: एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा में संशोधन**

| आकार | मूल (करोड़ रुपए में) | | संशोधित (करोड़ रुपए में) | |
|---|---|---|---|---|
| | निवेश | टर्नओवर | निवेश | टर्नओवर |
| **सूक्ष्म** | 1 | 5 | 2.5 | 10 |
| **लघु** | 10 | 50 | 25 | 100 |
| **मध्यम** | 50 | 250 | 125 | 500 |

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 21 मार्च, 2025; पीआरएस।

संशोधित मानदंड 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।[19]

## खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

*Shrusti Singh (shrusti@prsindia.org)*

### संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों के लिए इथेनॉल का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक योजना अधिसूचित की है।[20] इस योजना के तहत सहकारी चीनी मिलों को गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।[21] बहु-फीडस्टॉक आधारित संयंत्र इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ने के अलावा मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे इनपुट का उपयोग करते हैं।[21] सहकारी चीनी मिलों को 6% प्रति वर्ष या ब्याज का 50% (जो भी कम हो) ब्याज सहायता दी जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए सबसिडी का भुगतान करेगी। यह योजना केवल उन सहकारी चीनी मिलों को उपलब्ध कराई जाएगी जो परिवर्तित संयंत्रों से कम से कम 75% इथेनॉल की आपूर्ति पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को करती हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए योजना को अधिसूचित करने के छह महीने के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

## रसायन एवं उर्वरक

*Shrusti Singh (shrusti@prsindia.org)*

### कैबिनेट ने 2025 खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सबसिडी दरों को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए 2025 खरीफ सीजन (1 अप्रैल से 30 सितंबर) में पोषक तत्व आधारित सबसिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दी है।[22] स्वीकृत उर्वरक दरों पर सबसिडी प्रदान की जाएगी। खरीफ सीजन 2025 के लिए एनबीएस सबसिडी पर खर्च 37,216 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

## पशुपालन एवं डेयरी

*Shrusti Singh (shrusti@prsindia.org)*

### कैबिनेट ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए योजनाओं को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, मवेशी क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने और पशु रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की तीन संशोधित योजनाओं को मंजूरी दी है। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**: कैबिनेट ने 2021-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है।[23] इस मिशन को देशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण, गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किया जा रहा है।[24] संशोधित योजना में दो नए घटक शामिल हैं: (i) पालन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत का 35% एकमुश्त सहायता, और (ii) उच्च प्रजनन वाली नस्लों की खरीद के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर 3% ब्याज अनुदान। अतिरिक्त आवंटन से 2021-22 से 2025-26 के बीच राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल आवंटन बढ़कर 3,400 करोड़ रुपए हो गया।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम**: राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य दूध खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है।[25] कैबिनेट ने 2021-22 और 2025-26 के बीच कार्यान्वयन अवधि के लिए योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है।
- **पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)**: एलएचडीसीपी का उद्देश्य टीकाकरण, निगरानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के माध्यम से पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना और नियंत्रित करना है।[26] कैबिनेट ने इस योजना के तहत पशु औषधि के एक नए घटक को जोड़ने को मंजूरी दे दी है।

[1] Developments in India's Balance of Payments during the Third Quarter (October-December) of 2024-25, Reserve Bank of India, March 28, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2498F4B98BE08BB249FB91E294D0DD13E94C.PDF.

[2] "Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)", Press Information Bureau, Cabinet, March 19, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112771.

[3] SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, March 24, 2025, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/mar-2025/sebi-board-meeting_92900.html.

[4] SEBI/ HO/ AFD/ AFD – PoD – 2/ CIR/ P/ 2023/ 148, Securities and Exchange Board of India, August 24, 2023, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/aug-2023/mandating-additional-disclosures-by-foreign-portfolio-investors-fpis-that-fulfil-certain-objective-criteria_75886.html.

[5] Master Directions - Reserve Bank of India (Priority Sector Lending – Targets and Classification) Directions, 2025, Reserve Bank of India, March 24, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/128MD66C4DDCB167C4DC9A5BD913570CB3D47.PDF.

[6] RBI Releases Revised Priority Sector Lending Guidelines, Reserve Bank of India, March 24, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2450721E454D5F784FF3ADF9434D52DD12CC.PDF.

[7] Master Directions – Priority Sector Lending (PSL) – Targets and Classification, Reserve Bank of India, September 4, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MDPSL803EE903174E4C85AFA14C335A5B0909.PDF.

[8] The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Banking_Laws_as_passed_by_LS.pdf.

[9] The Reserve Bank of India Act, 1934, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2398/1/a1934-2.pdf.

[10] The Banking Regulation Act, 1949, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1885/1/A194910.pdf.

[11] The State Bank of India Act, 1955, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1553/1/AAA1955__23.pdf.

[12] The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1373/4/a1970_5.pdf.

[13] The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1792/3/a1980_40.pdf.

[14] The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Disaster_Management_(Amendment)_Bill_2024.pdf.

[15] The Disaster Management Act, 2005, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2045/1/AAA2005___53.pdf.

[16] The Bills of Lading Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Bills_of_Lading_Bill_2024_Bill_Text.pdf.

[17] The Indian Bills of Lading Act, 1856, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2278/5/A1856-9.pdf.

[18] Notification of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, June 26, 2020, https://egazette.gov.in/(S(p05kyeo0sc0gsf31behlnssq))/ViewPDF.aspx.

[19] Notification of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, March 21, 2025, https://egazette.gov.in/(S(p05kyeo0sc0gsf31behlnssq))/ViewPDF.aspx.

[20] F.No.1(10)/2018-SP-I., Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, March 6, 2025, https://egazette.gov.in/(S(nh0lso2hcvqhqktgtx0ffcu4))/ViewPDF.aspx.

[21] "Centre notifies scheme for Cooperative Sugar Mills for conversion of existing sugarcane-based feedstock ethanol plants to multi-feedstock based plants", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, March 7, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2109157.

[22] "Cabinet approves Nutrient Based Subsidy rates for Kharif, 2025 on Phosphatic and Potassic fertilisers", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilisers, March 28, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116179.

[23] "Cabinet approves implementation of revised Rashtriya Gokul Mission with enhanced allocation for the years 2024-25 and 2025-26", Press Information Bureau, Cabinet, March 19, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112788.

[24] "Role of Rashtriya Gokul Mission", Press Information Bureau, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, February 7, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2003559.

[25] "Cabinet approves Revised National Program for Dairy Development", Press Information Bureau, Cabinet, March 19, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112791.

[26] "Cabinet approved Revision of Livestock Health and Disease Control Programme (LHDCP)", Press Information Bureau, Cabinet, March 5, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108419.

**डिस्क्लेमर:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।